झारखंड उच्च न्यायालय रांची रिट याचिका संख्या (एल) 4620/2011

भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन के संबंध में नियोक्ता, एक निगमित निकाय, जो खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत अपने क्षेत्र प्रबंधक, जिला अधिकारी, छपरा, पी.ओ. के माध्यम से निगमित है, थाना और जिला- छपरा, बिहार

....याचिकाकर्ता

बनाम

मदन मोहन सिंह, प्रदीप नारायण सिंह के पुत्र, राज्य संयुक्त सचिव, एफसीआई एग्जीक्यूटिव्स स्टाफ यूनियन ऑफ अरुणाचल बिल्डिंग, पी.ओ.- एक्जीबिशन रोड, पी.ओ. एंड पी.एस.- एक्जीबिशन रोड, जिला-पटना, बिहार द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए : श्री शुभम सिन्हा, अभिवक्ता।

श्री निपुण बख्शी, अभिवक्ता ।

श्री मृणाल सिंह, सलाहकार।

प्रतिवादी के लिए : श्री अभिजीत क्र. सिंह, अभिवक्ता.

श्री हर्ष चंद्रा, अभिवक्ता सुश्री आयुषी, अभिवक्ता

श्री सैफ अली अंसारी, अभिवक्ता

<u>उपस्थित</u>

माननीय श्रीमान जस्टिस अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- पक्षों को सुना गया।

- 2. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए संदर्भ मामले संख्या 1994 का 121 में पारित दिनांक 04.11.2009 के फैसले को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है। इसके दद्वारा, केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण संख्या 1, धनबाद ने विचार में माना है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित नहीं करने, अन्य सभी लाभों से वंचित करने में एफसीआई प्रबंधन की कार्रवाई 22.04.1984 को मदन मोहन सिंह पर प्रभावी रूप से की गई है। यह वैधानिक और उचित नहीं है, इसलिए प्रतिवादी कर्मचारी 22.04.1984 से 50% बकाया वेतन और अन्य परिणामी लाभों के साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नियमितीकरण का हकदार है।
- 3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि केंद्र सरकार ने, श्रम मंत्रालय, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 के खंड (डी), उप-धारा (1) और उप-धारा (2 ए) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विवाद को केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण को निर्णय के लिए भेजा: -

यह अनुवाद सुधीर, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।

"क्या एफसीआई के प्रबंधन की कार्रवाई, चतुर्थ श्रेणी के श्रमिकों की सेवाओं को नियमित नहीं करना और नियमित चतुर्थ श्रेणी के श्रमिकों के वेतन और 22.04.1984 को अन्य सभी लाभों से इनकार करना श्री मदन मोहन सिंह, कैजुअल वर्कर के साथ वैध एवं न्यायोचित हैं? यदि नहीं, तो कर्मचारी किस राहत का हकदार हैं?"

- 4. इस रिट याचिकाकर्ता के प्रतिवादी कर्मचारी का मामला यह है कि प्रतिवादी कर्मचारी को 22.04.1984 को हाजीपुर के खाद्य भंडारण डिपो में रिट याचिकाकर्ता प्रबंधन द्वारा वेतन रोल पर अधीनस्थ संवर्ग के कर्तव्य को पूरा करने के लिए आकस्मिक कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया था। तब वह प्रबंधन की पूर्ण संतुष्टि के लिए बिना किसी अवकाश के एक नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में अपना कर्तव्य निभा रहे थे। एक योजना के तहत, रिट याचिकाकर्ता प्रबंधन ने, मुख्यालय के प्रकाश में प्रवेश स्तर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पद के खिलाफ अपनी योग्यता के अनुसार 02.05.1986 को या उससे पहले कम से कम 90 दिनों की सेवा पूरी करने वाले कारण कार्यकर्ता को नियमित करने का निर्णय लिया। परिपत्र दिनांक 06.05.1987 और तदनुसार, वर्ष 1988- 89 में कई कारण/ दैनिक संबंधित श्रमिकों को चौकीदार के रूप में नियमित किया गया था और उन्हें प्रबंधन के नियमित चतुर्थ श्रेणी श्रमिकों के वेतन और अन्य सभी लाभ मिल रहे हैं।
- 5. प्रबंधन का मामला यह है कि यद्यपि प्रतिवादी कर्मचारी 22.04.1984 से रिट याचिकाकर्ता को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा था, वह केवल अनियत श्रमिक के रूप में कार्यरत था और उसे समय- समय पर डिपो कार्यालय में कुछ छोटे-मोटे काम करने के लिए श्रम करना पड़ता करता था, जिसमें कार्यालय कक्ष और फर्नीचर की सफाई करना शामिल है, जिसमें आधे घंटे का समय लगता है और साथ ही पीने का पानी लाना और उसे घड़ों में संग्रहित करना भी शामिल है। अपने तर्क के समर्थन में, कामगार ने दस्तावेजों को साबित करने के अलावा खुद को एकमात्र गवाह के रूप में जांचा, जिन्हें प्रदर्शनी डब्ल्यू1 के रूप में चिह्नित किया गया है, जबकि रिट याचिकाकर्ता प्रबंधन की ओर से, दो गवाहों की जांच की गई और दो दस्तावेजों को साबित किया गया है, जिन्हें दस्तावेज़ डब्ल्यू 1 के रूप में चिह्नित किया गया है। विस्तार. एम-1/1 और एक्सटेंशन एम-1/2. में विद्वान न्यायाधिकरण ने कर्मकार की गवाही पर विचार किया कि वर्ष 1986- 87 के उक्त परिपत्र के आधार पर, कई आकस्मिक श्रमिकों को नियमित किया गया था, इसलिए कर्मकार को अन्य श्रमिकों के साथ समान रूप से रखा गया था, जिन्हें नियमित किया गया है। याचिकाकर्ता कर्मकार को भी नियमित किया जाए।
- 6. अभिलेख में उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद विद्वान न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि क्षेत्रीय कार्यालय, पटना द्वारा आंचिलक प्रबंधक को किए गए पत्रचार में अंतिम एक पैरा को छोड़कर यह अनुरोध किया गया था कि इस कार्य के प्रतिवादी- कर्मचारी के साथ समझौता करें। रिट याचिका, अच्छा प्रभाव डाल सकती है, जब भी, प्रतिवादी पिछले लाभ को त्यागना चाहता है और उससे, न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि कर्मचारी कार्यालय और गोदाम की सफाई और खोलने और सफाई करने से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। गोदाम और शेड और संदेशवाहक के अन्य विविध कार्य भी कर रहा है और न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रतिवादी कर्मचारी स्वीपर और संदेशवाहक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था जो कि रिट

यह अनुवाद सुधीर, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।

याचिकाकर्ता निगम में महत्वपूर्ण पद हैं। विस्तार. डब्ल्यु 3 से ट्रिब्यूनल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारी रिक्तियां हैं, इसलिए एआई आर 1990 एससी 371 में रिपोर्ट किए गए भगवती प्रसाद बनाम दिल्ली राज्य खनिज विकास निगम के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में, कामगार 22.04.1984 से नियमित कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभ पाने का हकदार है और इस प्रकार संतुष्ट होकर, उक्त आदेश पारित कर दिया।

- 7. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय बनाम अखिलेश कुमार खरे और अन्य के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं। (2016) 1 एससीसी 521 में रिपोर्ट किया गया है और प्रस्तुत किया गया है कि जैसा कि उक्त निर्णय के पैरा 17 में देखा गया है, अनौपचारिक श्रमिकों को पदों पर नियमित होने का कोई निहित अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी (3) और अन्य (2006) 4 एससीसी 1 के मामले में श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायाधिकरणों के लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय लागू है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि चुंकि प्रतिवादी- कर्मचारी एक आकस्मिक कर्मचारी है, इसलिए उसे नियमित होने का कोई अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि विद्वान औद्योगिक न्यायाधिकरण ने यह कहकर विकृति की है कि एमडब्ल्यू1 ने अपनी जिरह में कहा है कि कर्मचारी एक या दो दिन के ब्रेक के साथ 20-25 दिनों तक काम कर रहा था, यह गलत है। 20- 25 दिनों तक काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक सुझाव आया है, जिसे एमडब्ल्यू1 ने अस्वीकार कर दिया है और विद्वान न्यायाधिकरण ने भी एमडब्ल्यू 2 को जिम्मेदार ठहराते हुए अपराध किया है, उन्होंने कहा है कि प्रतिवादी कर्मचारी शाम को भी कार्यालय का कमरा बंद कर रहा था, हालाँकि एमडब्ल्यू 2 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चौकीदार, शाम को कार्यालय बंद करने का काम कर रहा था, इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 04.11.2009 का निर्णय संदर्भ मामले में पारित संख्या 1994 की धारा 121) को निरस्त कर पक्ष रखा जाए।
- 8. दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया और कहा कि निम्नलिखित तथ्य निर्विवाद हैं:
- (i) कि प्रतिवादी कर्मचारी 22.04.1984 से आज तक याचिकाकर्ता की सेवाएं जारी रखे हुए है।
- (ii) जैसा कि विस्तार से स्पष्ट है, पदों के विरुद्ध भारी रिक्तियां हैं। डब्ल्यू 3.
- (iii) यह स्वीकृत स्थिति है कि परिपत्र दिनांक 06.05.1987 को लागू किया गया है और समान स्थिति वाले व्यक्तियों को लाभ दिया गया है, जो रिट याचिका (एल) संख्या 6918 में दिनांक 31.07.2019 के निर्णय से भी स्पष्ट है। यह 2012 को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा पारित किया गया।
- 9. ऐसी परिस्थितियों में, यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी कामगार याचिकाकर्ता निगम के साथ अपनी सेवाओं को नियमित करने का हकदार है। रिट याचिका में पारित इस न्यायालय की समन्वय पीठ के फैसले की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करना
- (एल) क्रमांक 6918 ऑफ़ 2012 दिनांक 31.07.2019, एफसीआई बनाम राम विलाश पासवान और अन्य के प्रबंधन के संबंध में नियोक्ता के मामले में, प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि इसमें समान

यह अनुवाद सुधीर, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।

रूप से रखे गए श्रमिकों को निर्देशित किया गया था कि केन्द्र सरकार द्वारा बहाल किये जाने वाले औद्योगिक औद्योगिक न्यायाधिकरण संख्या 2, धनबाद और उक्त रिट याचिका (एल) संख्या 6918 of 2012, संदर्भ मामले संख्या में केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित उक्त पुरस्कार को रद्द करने के लिए दायर किया गया है। 1996 के 130 को- समन्वय पीठ ने दिनांक 31.07.2019 के फैसले के जरिए खारिज कर दिया है और 2019 के एलपीए नंबर 630 के तहत उक्त फैसले के खिलाफ पसंदीदा एलपीए को भी इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा खारिज कर दिया गया है। प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि संदर्भ प्रकरण क्रमांक 27.08.2015 में पारित अवार्ड को रद्द करने की प्रार्थना के संदर्भ में इस न्यायालय की एक अन्य समन्वय पीठ ने 2016 के **रिट याचिका** (**एल**) **संख्या** 4466 में भारतीय खाद्य निगम बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में भी मामले को खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण आई , धनबाद द्वारा 1997 का 165 और 2019 का एलपीए नंबर 582 व इस न्यायालय की समन्वय पीठ के उक्त निर्णय के खिलाफ, प्रार्थना को इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा भी खारिज कर दिया गया है, इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि यह रिट याचिका बिना किसी योग्यता के होने के कारण खारिज कर दी जाए।

10. अदालत में की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को देखने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि ट्रिब्यूनल द्वारा पारित पुरस्कार की न्यायिक समीक्षा की शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का संदर्भ सीमित है, जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एआईआर 1964 एससी 477 में रिपोर्ट किए गए सैयद याकूब बनाम के.एस. राधाकृष्णन और अन्य के मामले में माना है, जो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हेंज इंडिया (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में (2012) 5 एससीसी 443, पैरा 66 और 67 में दोहराया गया है, जिसमें लिखा है:-

''66. कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग से निपटने वाली अदालत किसी भी प्रांत के भीतर के मामलों में अपने फैसले को विधायिका या कार्यपालिका या उनके एजेंटों के फैसले से प्रतिस्थापित नहीं करती है, और अदालत" की भावना का स्थान नहीं लेती है। विशेषज्ञ" अपनी समीक्षा से, इस न्यायालय के निर्णयों से भी काफी हद तक सहमत है। ऐसे सभी मामलों में न्यायिक जांच यह पता लगाने तक ही सीमित है कि क्या तथ्य के निष्कर्षों का साक्ष्य पर उचित आधार है और क्या ऐसे निष्कर्ष देश के कानूनों के अनुरूप हैं। (देखें यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एस.बी. वोहरा [(2004) 2 एससीसी 150: 2004 एससीसी (एल एंड एस) 363], श्री सीताराम शुगर कंपनी लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया [(1990) 3 एससीसी 223] और थानसिंह नथमल बनाम। कर अधीक्षक [एआईआर 1964 एससी 1419])

67. धरांगधरा केमिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम सौराष्ट्र राज्य [एआईआर 1957 एससी 264] में इस न्यायालय ने माना कि तथ्य के प्रश्न पर एक न्यायाधिकरण का निर्णय, जिसे निर्धारित करना उसके अधिकार क्षेत्र में है, संविधान की धारा 226 अंतर्गत जब तक कि यह किसी भी साक्ष्य द्वारा पूरी तरह से असमर्थित साबित न हो के कार्यवाही में सवाल उठाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसी आशय का विचार इस न्यायालय द्वारा थानसिंह नथमल मामले [एआईआर 1964 एससी 1419] में लिया गया है, जहां इस न्यायालय ने माना था कि उच्च न्यायालय आम तौर पर उन प्रश्नों का निर्धारण नहीं करता है, जिन्हें लागू करने का अधिकार स्थापित करने के लिए साक्ष्य की विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है जिसके लिए रिट का दावा किया गया है।"

- 11. भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (2019) 10 एस सी सी 695 में रिपोर्ट किए गए जनरल मैनेजर, इलेक्ट्रिकल रेंगाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, उड़ीसा और अन्य बनाम गिरिधारी साहू और अन्य के मामले में भी कानून के स्थापित सिद्धांत को दोहराया है कि यदि न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया कोई निष्कर्ष गलत है और विकृति पर आधारित है, तो ऐसे आदेश को रद्द किया जा सकता है और रद्द किया जा सकता है।
- 12. इसलिए श्रम न्यायालय द्वारा पारित पुरस्कार के हस्तक्षेप के मामले में कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एक उच्च न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी करने की न्यायाधिकरण शक्ति बहुत सीमित है और इसका प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब पुरस्कार में कोई विकृति दिखाई गई हो।
- 13. अब मामले के तथ्यों पर आते हैं। यह सच है कि एम डब्ल्यू 1 और एम डब्ल्यू 2 के बयान के संदर्भ में विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा कुछ त्रुटि हुई है। हालांकि एम डब्ल्यू 1 ने विशेष रूप से यह नहीं बताया है कि याचिकाकर्ता प्रत्येक माह, 1-2 दिनों के ब्रेक के साथ, 20 से 25 दिनों तक काम कर रहा था। लेकिन उन्होंने कहा है कि याचिकाकर्ता, एक महीने में 15- 25 दिनों के लिए काम कर रहा था और रोजगार के अधिकतम दिनों के दौरान विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा एम डब्ल्यू 1 के बयान के संदर्भ में यह मामूली विसंगति थी। लेकिन इस अदालत की सुविचारित राय और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रतिवादी कामगार ने एक महीने में जिन न्यूनतम दिनों के लिए काम किया, उनके बीच अंतर है, इसे विकृत या बिना सबूत आधारित निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता है।
- 14. इसी प्रकार, विद्वान न्यायाधिकरण ने एम डब्ल्यू 2 का हवाला देते हुए कहा है कि वह शाम को कार्यालय का कमरा बंद कर देता था, हालांकि एम डब्ल्यू 2 ने कहा है कि उसे शाम को चौकीदार द्वारा बंद कर दिया जाता था, लेकिन यह एक छोटी सी विसंगति है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इसे विकृति नहीं कहा जा सकता।
- 15. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **हरि नंदन प्रसाद और अन्य बनाम नियोक्ता आई/ आर टू** मैनेजमेंट ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और अन्य के मामले में (2014) 7 एससीसी 190 में रिपोर्ट दी थी। जिसका पैरा 39 इस प्रकार है:
- "39. ऊपर विस्तार से चर्चा किए गए दो निर्णयों के सामंजस्यपूर्ण पढ़ने पर, हमारी राय है कि जब पद उपलब्ध हों, तो किसी भी अनुचित श्रम अभ्यास की अनुपस्थिति में श्रम न्यायालय केवल इसलिए नियमितीकरण के लिए निर्देश नहीं देगा क्योंकि एक कर्मचारी के पास कई वर्षों तक दैनिक वेतनभोगी/ तदर्थ/ अस्थायी कर्मचारी के रूप में काम करते रहे। इसके अलावा, यदि कोई

पद उपलब्ध नहीं है, तो नियमितीकरण के लिए ऐसा निर्देश अस्वीकार्य होगा। उपरोक्त परिस्थितियों में. ऐसे व्यक्ति को केवल दैनिक वेतनभोगी आदि जैसे कर्मचारी द्वारा बिताए गए वर्षों की संख्या के आधार पर नियमित करने का निर्देश देना. सेवा में पिछले दरवाजे से प्रवेश के समान हो सकता है. जो कि अनुच्छेद 14 के लिए अभिशाप है। संविधान का इसके अलावा ऐसा निर्देश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक संबंधित कर्मचारी भर्ती नियमों के अनसार संबंधित पद की पात्रता आवश्यकताओं को परा नहीं करता है। हालाँकि, जहां भी यह पाया जाता है कि समान स्थिति वालें श्रमिकों को किसी योजना या अन्यथा के तहत नियोक्ता द्वारा नियमित किया जाता है और जिन श्रमिकों ने औद्योगिक/ श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, वे उनके बराबर हैं. ऐसे मामलों में नियमितीकरण की दिशा कानूनी रूप से उचित हो सकती है। अन्यथा, बचे हुए श्रमिकों का नियमितीकरण न करना ऐसे मामलों में उनके साथ घृणित भेदभाव होगा और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। इस प्रकार, औद्योगिक निर्णायक इस संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करने के बजाय अनुच्छेद 14 को कायम रखकर समानता प्राप्त करेगा। (जोर दिया गया)

ऐसी परिस्थितियों का नेतृत्व किया है जब सेवा के नियमितीकरण को श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। अब मामले के तथ्यों पर आते हैं, जैसा कि पहले ही ऊपर बताया जा चुका है, निर्विवाद तथ्य बना हुआ है

- (i) "कि प्रतिवादी कर्मचारी 22.04.1984 से आज तक याचिकाकर्ता के साथ सेवाएं जारी रखे हुए है
- (ii) जैसा कि विस्तार डब्ल्यू 3 से स्पष्ट है, पदों के विरुद्ध भारी रिक्तियां हैं। (iii) यह स्वीकृत स्थिति है कि परिपत्र दिनांक 06.05.1987 को लागू किया गया है और समान पद वाले व्यक्तियों को लाभ दिया गया है, जो डब्ल्यूपी (एल) संख्या 6918 /2012 में दिनांक 31.07.2019 के निर्णय से भी स्पष्ट है जो न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा पारित किया गया।
- 16. ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय का मानना है कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा कोई विकृति नहीं की गई है, जिसमें निस्संदेह, इस तरह के संदर्भ का उत्तर देने और बहाली का आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र था।
- 17. ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय को संख्या 1994 का 121 के मामले में पारित दिनांक 04.11.2009 के अधिनिर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं लगता है।
- 18. तदनुसार, यह रिट याचिका बिना किसी योग्यता के खारिज की जाती है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायाधीश)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची दिनांक, 1 फरवरी, 2024 स्मिता /एएफआर